न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 139/2010 निर्णय दिनांक :– 3/6/2019

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण
2. खेमलता पत्नि त्रिलोक चन्द
3. गणेश नारायण
4. जयशंकर
5. अभिषेक

   पुत्रान त्रिलोक चंद नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्री खेमलता
6. किशनलाल पुत्र जयनारायण

   समस्त जाति ब्रह्मण निवास वार्ड नं0 16 कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर

——वादी——

बनाम

1. रामदेव

   1.1 छीतर पुत्र रामदेव

   1.2 गोविन्द पुत्र रामदेव

   1.3 शांति पुत्री रामदेव
2. बद्री
3. जयराम
4. मूलीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

5. जगदीश

6. नारायण

समस्त पुत्रान भौरीलाल

7. रामचन्द्र

8. पांचू

9. रामजीवन

10. जयराम

11. हनुमान

समस्त पुत्रान कल्याण

समस्त जाति जाट निवासी वार्ड न0 8 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

12. भगवान सहाय पुत्र रामसहाय जाति ब्रह्मण निवासी वार्ड नं0 16 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

13. भगवती देवी पत्नि रामकुंवार जाति रैगर निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

---प्रतिवादी---

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 टेनेन्सी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:42:33 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :-

अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तहसील चाकसू के कस्बे चाकसू में वादीगण व प्रतिवादी नं0 12 व 13 की खातेदारी जमीन स्थित है जिसके खसरा नम्बरान निम्नानुसार है :–

खसरा नम्बर	4249	रकबा	1.06	है0	खसरा नम्बर	4250	रकबा	0.53	है0
खसरा नम्बर	4251	रकबा	0.95	है0	खसरा नम्बर	4252	रकबा	0.85	है0
खसरा नम्बर	4253	रकबा	0.16	है0	खसरा नम्बर	4254	रकबा	2.24	है0
खसरा नम्बर	4254/12256	रकबा	0.01	है0	खसरा नम्बर	4255	रकबा	0.95	है0
खसरा नम्बर	4256	रकबा	0.07	है0	खसरा नम्बर	4257	रकबा	0.31	है0

कुल किता 10 कुल रकबा 7.13 है0 स्थित है।

वादीगण के लगवा ही प्रतिवादीगण नं 1 से 11 की खातेदारी जमीन स्थित है जिसके खसरा नम्बरान निम्नानुसार है:–

खसरा नम्बर	3893	रकबा	0.74	है0	खसरा नम्बर	3894	रकबा	0.32	है0
खसरा नम्बर	3912	रकबा	0.26	है0	खसरा नम्बर	3913	रकबा	0.43	है0
खसरा नम्बर	3914	रकबा	0.03	है0	खसरा नम्बर	3915	रकबा	0.16	है0
खसरा नम्बर	3916	रकबा	0.14	है0	खसरा नम्बर	3917	रकबा	1.70	है0
खसरा नम्बर	3918	रकबा	1.12	है0	खसरा नम्बर	3919	रकबा	0.09	है0
खसरा नम्बर	3920	रकबा	0.11	है0	खसरा नम्बर	3921	रकबा	0.16	है0
खसरा नम्बर	3922	रकबा	0.12	है0	खसरा नम्बर	3923	रकबा	0.24	है0
खसरा नम्बर	3924	रकबा	0.42	है0	खसरा नम्बर	3925	रकबा	0.15	है0
खसरा नम्बर	3926	रकबा	0.32	है0	खसरा नम्बर	3927	रकबा	0.09	है0
खसरा नम्बर	3928	रकबा	0.39	है0	खसरा नम्बर	3963	रकबा	0.13	है0

कुल किता 20 कुल रकबा 7.12 है0 स्थित है।

वादीगण की आराजी के साबिक खसरा नम्बर 873 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा थे जिसके नक्शे की उपरी सीमा बिल्कुल सीधी थी इससे पूर्व इसके खसरा नम्बर 3453 थे जिसमें भी उपरी सीमा बिल्कुल सीधी थी। वर्तमान सेटलमेंट में जो नक्शा बनाया गया है वह मौका स्थिति के विपरीत बनाया है प्रथम तो उपरी सीमा तीरछी करके छोटी कर दी गई साथ ही पूरे रकबे में नक्शे में रकबा भी कम कर दिया जबकि मौके पर वादीगण आज भी पुरानी स्थिति अनुसार ही काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के खसरा नम्बर की रकबा बरारी करने पर पूरा नक्शा करीब 46 एयर कम पडता है जिसमें से प्रतिवादीगण के लगवा खसरा

नम्बर 4254 करीब 10 एयर नक्शे में छोटा है खसरा नम्बर 4255 करीब 5 एयर छोटा है खसरा नम्बर 4252 करीब 6 एयर छोटा है खसरा नम्बर 4253 करीब 3 एयर छोटा है इसी प्रकार अन्य नम्बर भी छोटे है जिसके लिए कम्प्यूटर से किया गया रकबा बरारी शीट दावे के साथ पेश किया जा रहा है वादीगण के आपसी बाहमी तकासमा में यह हिस्सा वादीगण को मिला था।

नक्शे में उक्त नम्बरों में जो कमी है वह तो उपरी सीमा में है जो कि कुल चारों खसरा नम्बरों में कुल 24 एयर ही है जो प्रतिवादी नं0 1 से 11 के खसरा नम्बर 3918 में है वादीगण की उतरी सीमा पुराने नक्शे की तरह सीधी होनी चाहिए जो दावे के साथ संलग्न नक्शे अनुसार मौके पर स्थित है इसी अनुरूप नक्शे में दुरस्त होनी चाहिए उक्त नक्शा दावे का अभिन्न अंग है वादीगण की चारों नम्बरों की कमी कुल 24 एयर की पूर्ती प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 3918 में से होगी जो संलग्न नक्शे में बताये अनुसार होगी खसरा नम्बर 3918 ही मुख्य रूप से इस दावे में विवादित है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार साबिक नक्शे अनुसार काबिज काश्त है सबकी सीमा कच्ची मेड से बनी हुई है वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 से 11 की बीच की सीमा में भी मेड लगी हुई है इस प्रकार दोनो का हिस्सा प्रथक प्रथक है किन्तु वर्तमान में नापने से वादीगण की मेड व खेत प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के हिस्से में आते है इससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

अभी गत दिनांक 02.06.2010 को [illegible] के उक्त खते कब्जे शुदा में प्रतिवादीगण ने कुछ पेड [illegible] पक्षों में कहासुनी व फौजदारी की कार्यवाही भी हुई इसके बा[illegible]से प्रतिवादीगण इस कोशिश

में रहते है कि वो वादीगण की मेड को तोड दें अभी गत दिनांक 10.10.2010 को फिर से प्रतिवादीगण ने इसका प्रयास किया।

प्रतिवादीगण की धमकी व प्रयास को देखते हुये वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो अपना नक्शा दुरस्त करवा ले तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वो वादीगा के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले, वादीगण की पुख्ता कायम मेड को ना तोडे।

यह कि दवे के लिए वाद हैतुक दिनांक 02.06.2010 व 10.10.2010 को जब प्रतिवादीगण ने मौका स्थिति में छेडछाड का प्रयास किया व धमकी दी तब पैदा होकर निरंतर जारी है।

दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती करवाने का डिग्री किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 से 11 के खसरा नम्बर 3918 में से 24 एयर के नक्शे को वादीगण के खसरा नम्बर 4252, 4253, 4254, 4255 में संलग्न नक्शे अनुसार जोडा जाकर वादीगण के इन नम्बरों का रकबा जमाबन्दी व मौका स्थिति के अनुसार किया जावे तथा वादगण को उक्त हिस्से का खातेदार घोषित कर नक्शे में दुरस्ती की जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3918 में वादी के कब्जे वाले हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले, ना ही किसी को रहन, दान, बेचान, या अन्य हस्तान्तरण करें। ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करे।

दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीण्गा को तलब किया गया प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब दावा पेश हुआ जो इस प्रकार पेश किया गया कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र का पहरा नम्बर 1 में भूमि खसरा नम्बर 4249, 4251, 4253, 4254 / 12256, 4256, 4250, 4252, 4254, 4255, 4257 कुल किता 10 कुल रकबा 7.13 है0 वाके कस्बा चाकसू जिला जयपुर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 एवं 13 की खातेदारी भूमि होना स्वीकार हैं

वादपत्र के पहरा नम्बर 2 में भूमि खसरा नम्बर 3893, 3894, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3963 कुल किता 20 रकबा 7.12 है0 वाके कस्बा चाकसू जिला जयपुर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी भूमि होना स्वीकार हैं

वादपत्र का पहरा नम्बर 3 मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्वीकार नही है। वादीगण की खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नम्बर 873 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा थे। जिसके साबिक खसरा नम्बर 3453 थे, जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। सेटलमेंट में जो नक्शा बनया गया है, वह साबिक नक्शे के अनुसार ही बनाया गया है। वर्तमान नक्शे एवं पुराने नक्शे में कोई अन्तर नही है। इसलिये वादीगण का यह कहना गलता होने के कारण स्वीकार नही है कि वर्तमान सैटलमेंट का नक्शा मौका स्थिति के विपरीत बनाया गया है। उपरी सीमा तिरछी करके छोटी नही की गयी है तथा पूरे रकबे में, नक्शे मे रकबा भी कम नही किये गये है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है।

वादपत्र का पहरा नम्बर 4 मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्वीकार नही है। वादीगण की खसरा की रकबा बरारी करने पर पूरा नक्शा 46 एयर कम नही पडता है। रकबा बरारी मनगढंत आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

पर वादीगण स्वयं ने तैयार की है। जो कानून में कोई मायने नही रखती है। हम प्रतिवादीगण के लगवा वादीगण के खसरा नम्बर 4254 रकबा 10 एयर नक्शे में छोटा नही हैं खसरा नमबर 4255 करीब 5 एयर छोटा नही है। खसरा नम्बर 4252 करीब 6 एयर छाटा नही हैं खसरा नम्बर 4253 करीब 3 एयर छोटा नही है। इसी प्रकार अन्य नंबर भी छोटे नही है। कम्प्यूटर से तैयार किया गया रकबा बरारी शीट वादीगण ने अपनी मनमर्जी से हम प्रतिवादीगण की भूमि हडपने के लिए तैयार की है। जो कोई मायने नही रखती हैं।

वादपत्र का पहरा नम्बर 5 मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्वीकार नही है। वादीगण के नक्शे में कोई कमी नही की गई है। वादीगण के चारों खसरा नम्बरों में कुल 24 एयर कम नही है बल्कि वादीगण के खसरा नम्बरों का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार पूरा बैठता है। हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का खसरा नम्बर 3918 जमाबंदी के रकबे के अनुसार सही है। वादीगण की उत्तरी सीमा पुराने नक्शे की तरह सही है। उसमें कोई गलती नही है। मौके अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार नक्शा सही है। जब नक्शे में कोई गलती ही नही है तो वादीगण नक्शा दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है। वादीगण के चारो खसरा नम्बरों में कुल 24 एयर भूमि कम नही पडती है और न ही हम प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 3918 का रकबा बढता है। नक्शे के आधार पर वादीगण के नक्शे के आधार पर वादीगण नक्शे की पोषिदा कमी बतलाकर हमारी 24 एयर खातेदारी भूमि प्राप्त नही कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:02:36 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र का पहरा नम्बर 6 मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्वीकार नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणा की खातेदारी भूमि का

वर्तमान सेटलमेंट में नक्शा ट्रेस साबिका नक्शा ट्रेस के अनुरूप ही बनाया गया है, उनमें कोई कमी बेशी नही की गयी है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। इसलिये वादीगण का यह कहना गलत होने के कारण स्वीकार नही है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण साबिका नक्शे के अनुसार काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के बीच मेड बनी हुई है। वादीगण के खेत हम प्रवितादीगण के खातेदारी में नही आते है, मौके पर कोई विवाद नही हैं। वादीगण ने हम प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि हडपने के लिये पोषिदा तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है।

वादपत्र का पहरा नम्बर 7 स्वीकार नही है। दिनांक 02.06.2010 की घटना मनगढंत होने तथ्यों पर आधारित है। दिनांक 10.10.2010 की घटना भी मनगढंत होने के कारण स्वीकार नही हैं।

वादपत्र का पहरा नम्बर 8 अस्वीकार है। वादीगण नक्शा दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। उक्त नक्शा दुरूस्ती की आड में वादीगण हम प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि हडपना चाहते है। वादीगण का हमारी खातेदारी भूमि से कोई संबंध नही है। इसलिये वादीगण हम प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है।

वादपत्र का पहरा नमबर 9 स्वीकार नही हैं वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नही है। वादीगण के किसी भी अधिकार का हनन नही होता है, इसलिये वादीगण को कोई वादहेतुक उत्पन्न नही होता है।

वादपत्र का पहरा नम्बर 10 स्वीकार नही है। वाद मयाद बाहर पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र का पहरा नम्बर 11 कानूनी होने के कारण जवाब मोहताज नही है।

वादपत्र का पहरा नम्बर 12 कानूनी होने के कारण जवाब मोहताज नही है।

वादपत्र का पहरा नम्बर 13 अस्वीकार है।

विशेष विवरण

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 एवं 13 की खातेदारी भूमि के साबिका खसरा नम्बर 873 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा के, वर्तमान सेटलमेंट में निम्न

खसरा नम्बर	4249	रकबा	1.06	है0	खसरा नम्बर	4250	रकबा	0.53	है0
खसरा नम्बर	4251	रकबा	0.95	है0	खसरा नम्बर	4252	रकबा	0.85	है0
खसरा नम्बर	4253	रकबा	0.16	है0	खसरा नम्बर	4254	रकबा	2.24	है0
खसरा नम्बर	4254/12256	रकबा	0.01	है0	खसरा नम्बर	4255	रकबा	0.95	है0
खसरा नम्बर	4256	रकबा	0.07	है0	खसरा नम्बर	4257	रकबा	0.31	है0

कुल किता 10 कुल रकबा 7.13 है0 डाले गये। 28 बीघा 04 बिस्वा – 564 बिस्वा होते है – 7.13 है0 भूमि होती है। इस प्रकार रकबे में कोई कमी नही की गयी है तथा वादीगण के साबिक नक्शे के अनुसार ही वर्तमान नक्शा बनाया गया है।

वादीगण की खातेदारी भूमि उत्तरी साईड में हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नम्बर 899 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 875 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा होते है। जो 553 बिस्वा होते है। जिसके वर्तमान सेटलमेंट में निम्न खसरा नम्बर डाले गये है :–

खसरा नम्बर	3893	रकबा	0.74	है0	खसरा नम्बर	3894	रकबा	0.32	है0
खसरा नम्बर	3912	रकबा	0.26	है0	खसरा नम्बर	3913	रकबा	0.43	है0
खसरा नम्बर	3914	रकबा	0.03	है0	खसरा नम्बर	3915	रकबा	0.16	है0
खसरा नम्बर	3921	रकबा	0.16	है0	खसरा नम्बर	3922	रकबा	0.12	है0
खसरा नम्बर	3923	रकबा	0.24	है0	खसरा नम्बर	3924	रकबा	0.42	है0
खसरा नम्बर	3925	रकबा	0.15	है0	खसरा नम्बर	3926	रकबा	0.32	है0
खसरा नम्बर	3927	रकबा	0.09	है0	खसरा नम्बर	3928	रकबा	0.39	है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 899 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा – 303 बिस्वा होते है – 3.83 है0 होते है। एवं

खसरा नम्बर	3916	रकबा	0.14 है0	खसरा नम्बर	3917	रकबा	1.70 है0
खसरा नम्बर	3918	रकबा	1.12 है0	खसरा नम्बर	3919	रकबा	0.09 है0
खसरा नम्बर	3920	रकबा	0.11 है0	खसरा नम्बर	875	रकबा	12 बीघा

10 बिस्वा – 250 बिस्वा होते है – 3.16 है0 होते हैं

कुल किता 19 रकबा 6.999 है0 – कुल किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा — 553 बिस्वा होते है।

खसरा नम्बर 3963 रकबा 0.13 है0 साबिक खसरा नम्बर 902/2 रकबा 11 बिस्वा से बना है। इस प्रकार सैटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण का वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार बनाया गया है तथा जमाबंदी का रकबा, साबिक रकबे के अनुसार ही बनाया गया है। इस प्रकार दोनो पक्षो के साबिक व वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं रकबे में कोई कमी बेशी नही की गयी है। इस प्रकार वादीगण ने बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है। इसलिये वादीगण का वाद काबिले खारिज है।

वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है। इसलिये बिना कब्जे के वादीगण का घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद काबिले खारिज है।

जवाब दावा पेश होने पर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश हुआ कि

मद संख्या 1 व 2 स्वीकार है। मद संख्या 1 मे वर्णित आराजी गत आराजी खसरा नम्बर 873 करबा 25 बीघा 4 बिस्वा से बनना स्वीकार है। तथा गत आराजी खसरा नम्बर 873 का एकीक[illegible] पूर्व खसरा नम्बर 3453 था। गत खसरा नम्बर 873 की [illegible] पूर्ण [illegible] व इसके बने हाल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 4252 व 4251 तथा 4253, 4254, 4255 व 4256 की उत्तरी पूर्वी सीमा में अन्तर है जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

खसरा नम्बर 873 व हाल बने खसरा नम्बर 4251 से 56 की उत्तरी तथा पूर्वी सीमा में आये अन्तर को लाल स्याही से दर्शाये अन्तर ठीक करना उचित होगा। रकबे व लगान में कोई कमी बेशी नही होगी।

मद संख्या 4 में वर्णित तथ्यानुसार नक्शा दुरस्त करना उचित है। मद संख्या 6, 7 व 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद संख्या 8 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 10 स्वीकार है। मद संख्या 11 का संबंध मान्य न्यायालय से है। मद संख्या 12 स्वीकार है।

अत : जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि गत व हाल नक्शे मे हुई कमी बेशी को लाल स्याही से दर्शाये अनुसार शुद्ध करने में राज्य सरकार को कोई हानि नही है। अतः कोई ऐतराज नही है।

उक्त जवाब सरकार पेश होने पर पुनः तहसील से रिपोर्ट वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 12.07.2017 में पुनः रिपोर्ट मंगवाई गयी तो तहसीलदार चाकसू ने पत्रांक 154 दिनांक 16.08.2017 को रिपोर्ट भिजवायी गयी जो इस प्रकार है कि :–

वादपत्र का कथन 1 ग्राम चाकसू पूर्व के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी सम्वत 2073–76) से संबंधित है जो स्वीकार है। खाता संख्या 863 जमाबंदी संवत 2073–76 में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन नोट अंकित है तथा खसरा नम्बर 4254/12556 खाता संख्या 864 पर स्थगन नही है। वादपत्र का कथन 2 ग्राम चाकसू के वर्तमान राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 231 से संबंधित है जो स्वीकार है। मुताबिक रिकार्ड खाता संख्या 232 खसरा नम्बर 3918/1.20 है0 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू का स्थगन नोट अंकित है। वाद पत्र का कथन 3 का प्रथम भाग स्वीकार है। साबिक लटठा ट्रेस जीर्ण–शीर्ण होने लेकिन साबिक खसरा नम्बर 873 व इसके आसपास का लटठा ट्रेस सही (दृष्टव्य) होने के कारण उक्त साबिक खसरा की उपरी लाईन व वर्तमान नक्शे की उपरी सीमा का मिलान किया जो सही है। दोनो उपरी लाईनों (सीमा) में काई अंतर नही है। अतः वादी का कथन का द्वितीय भाग अस्वीकार है। वाद पत्र का कथन 4 व 5 अस्वीकार है। वाद पत्र का कथन 6, 7 व 9 वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र का कथन 8, 10 ता 12 व 13 का उपकथन क, ख लगातय घ कानूनी है।

उक्त जवाब सरकार का पेश हाने पर पक्षकारान वकीलों द्वारा कथन किया गया उक्त दोनो रिपोर्ट परस्पर विरोधी होने से तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे कि उक्त दोनो रिपोर्ट में से कौनसी सही है इस बाबत तहसीलदार को पत्रांक 6909 दिनांक 08.10.18 के द्वारा लिखा गया जिसका जवाब तहसीलदार चाकसू ने पत्रांक 6 दिनांक 147.01.2019 को द्वारा जवाब भिजवाया गया कि वादीगण के वर्तमान खसरा नम्बर एवं साबिक खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर पाया कि साबिक नक्शे की उत्तरी व दक्षिण सीमा वर्तमान नक्शे से मिलती है, इससे वादी का यह कथन मिथ्या साबित होता है कि साबिक नक्शे की तुलना में वर्तमान नक्शे की उपरी सीमा छोटी कर दी है, पटवारी रिपोर्ट एवं नक्शे के अवलोकरन उपरांत यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.08.2017 को भेजी गयी रिपोर्ट ही वास्तवितक एवं सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा दुरस्ती का होने से [illegible] होने पर तनकीयात कायम नही कर पक्षकारान की बहस दावा [illegible]नी गयी तो वकील वादी ने

दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादीगण के कमी कुल 24 एयर की पूर्ती प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 3918 में से होगी जो संलग्न नक्शे में बताये अनुसार होगी। वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 से 11 के बीच की सीमा में भी मेड लगी हुई ह इस प्रकार दोनो का हिस्सा पृथक – पृथक है किन्तु वर्तमान नक्शे से वादीगण की मेड व खेत प्रतिवादी नं0 1 से 11 के हिस्से में आते है इससे मौके पर विवाद हो गया जवाब सरकार जो दिनांक 01.07.2011 को पेश किया है उसके अनुसार ठीक किया जाना उचित बताया गया जो उसी अनुसार दुरूस्त फरमाया जावे ताकि मौके पर विवाद खत्म हो जावे। जवाब बहस में वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि वर्तमान सैटलमंट में जो नक्शा बनाया गया है व साबिक नक्शे के अनुसार बताया गया है। वर्तमान नक्शा व पुराने नक्शे में कोई अंतर नही है, वादीगण के खसरा नम्बरों की रकबा बरारी करने पर पुरा नक्श 46 एयर कम नही पडता है। प्रवितादीगण के लगवा वादीगण के खसरा नम्बरान का रकबा का नक्शा छोटा नही है। वादीगण के नक्शे में कोई कमी नही की गयी है। वादीगण के चारो खसरा नम्बरो में कुल 24 एयर भूमि कम नही है, वादीगण के खसरा नम्बरों का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार पूरा बैठता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का खसरा नम्बर 3918 जमाबंदी के रकबे के अनुसार सही है। वादीण्गा की उत्तरी सीमा पुराने नक्शे की तरह सही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी के बीच में मेड बनी हुई ह। दोनो पक्षो के साबिक व वर्तमान नक्शा ट्रेस एव रक[illegible] कोई कमी बेशी नही है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवा[illegible] दिनांक 17.01.2019 रिपोर्ट द्वारा वादी द्वारा किये गये कथन को [illegible]लत बताया है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की नियत से दावा पेश किया जो खारिज फरमाया जावे। वादी ने दावे के समर्थन मेंनक्शा नकल के साथ सर्वेशीट, जमाबन्दी संवत 2065 से 68, प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2010 एसएचओ चाकसू को पेश किया उसकी प्रति, जमाबंदी संख्या 2039–42 की फोटो प्रति, नकल नक्शा की सर्वेशीट लिखावट स्टाम्प पेपर (फोटो प्रति) मिलान क्षेत्रफल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी चाकसू की संवत 2035–38 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया व दावा जवाब दावा, जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादीगण की खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नम्बर 873 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा थे जिसका वर्तमान सेटलमेंट जो नक्शा बनाया गया है वो साबिक नक्शे के अनुसार ही बनाया गया है, वर्तमान नक्शे एवं पुराने नक्शे में कोई अंतर नही है उक्त नक्शे में अपनी उपरी सीमा तिरछी करके छोटी नही की गयी है वादीगण अपनी भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर काबिज है जवाब सरकार अनुसार वादी के कोई भी खसरा नम्बर छोटे नही है। वादीगण के चारो खसरा नम्बरों में 24 एयर कम नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का खसरा नम्बर 3918 जमाबंदी के रकबे के अनुसार सही है। वादीगण की उत्तरी सीमा पुराने नक्शे की तरह सही है उसमें किसी प्रकार की गलती नही है वादीण्गा एवं प्रतिवादीगण के खेतो के बीच मेड बनी हुयी है वादीगण के खेत प्रतिवादीगण के खेतें में नही आते हैं सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण व प्रति[illegible] की वर्तमान नक्शा ट्रेस साबिक नक्शा ट्रेस क अनु[illegible] का रकबा साबिक रकबे के अनुसार बनाया गया है। इस प्र[illegible]र दोनो पक्षो के साबिका व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं रकबे में कोई कमी बेशी नही की गयी है। जवाब सरकार अनुसार भी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2017 को सही बताया गया है। कि साबिक लटठा ट्रेस जीर्ण शीर्ण होने लेकिन साबिक खसरा नम्बर 873 व इसके आस पास का लटठा ट्रेस सही होने के कारण उक्त साबिक खसरा की उपरी लाईन व वर्तमान नक्शे की उपरी सीमा का मिलान किया जो सही है दोनो उपरी लाईनो (सीमा) में कोई अन्तर नही है। इस प्रकार वादी का कथन अस्वीकार किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं उपरोक्त विवेचन अनुसार दावा वादी साबित करने में असफल रहने से खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी साबित नही किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
3-6-19
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested